रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072026-274065
CG-DL-E-03072026-274065

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 512] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948
No. 512] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2026

सं. 15/2026-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 570(अ).— जहां कि मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका (एतस्मिन् पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "नॉर्मल ब्यूटेनॉल" या "एन-ब्यूटाइल अल्कोहल" (एतस्मिन् पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतस्मिन् पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2905 13 00 के अंतर्गत आती है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्षों में, जिसे अधिसूचना संख्या 7/16/2025-डीजीटीआर, दिनांक 9 अप्रैल, 2026 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि लागू प्रतिपाटन शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में डम्पिंग तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है, और विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना जारी रखने की सिफारिश की है;

अत: अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 12 अप्रैल, 2021, जिसे सा.का.नि. 260(अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है तथा भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2905 13 00*	"नॉर्मल ब्यूटेनॉल" या "एन-ब्यूटाइल अल्कोहल"	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	बीएएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी	26.59	एमटी	यूएसडी
2	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन बीएचडी	51.42	एमटी	यूएसडी
3	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर कोई उत्पादक	149.31	एमटी	यूएसडी

क्र. सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	-वही-	-वही-	मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	149.31	एमटी	यूएसडी
5	-वही-	-वही-	दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका सहित कोई भी देश	कोई भी	13.24	एमटी	यूएसडी
6	-वही-	-वही-	मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर कोई भी देश	दक्षिण अफ्रीका	कोई भी	13.24	एमटी	यूएसडी
7	-वही-	-वही-	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई भी देश	कोई भी	24.16	एमटी	यूएसडी
8	-वही-	-वही-	मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर कोई भी देश	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	24.16	एमटी	यूएसडी

**सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विषयगत वस्तु के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।*

टिप्पण. - उपरोक्त सारणी में क्र. सं. 1 और 2 में उल्लिखित उत्पादकों के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का लागू होना सीमा शुल्क अधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर होगा, जिस पर

ऐसे चालान जारी करने वाली इकाई के किसी अधिकारी द्वारा, उसके नाम और पदनाम सहित, दिनांकित और हस्ताक्षरित निम्नलिखित घोषणा अंकित होगी: *"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूं कि इस चालान द्वारा आच्छादित भारत को निर्यात हेतु बेचे गए (संबंधित उत्पाद) की (मात्रा) का निर्माण (कंपनी का नाम और पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया है। मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस चालान में दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।"* यदि ऐसा चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क विधि और विनियमों के अधीन सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण. **-** इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/39/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2026

No. 15/2026-Customs (ADD)

G.S.R. 570(E).— Whereas, in the matter of "Normal Butanol" or "N-Butyl Alcohol" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 2905 13 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Malaysia, South Africa and United States of America (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1 *vide* notification No. 7/16/2025-DGTR, dated the 9th April, 2026 has inter alia come to the conclusion that there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty in force, and has recommended continued imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 21/2021-Customs (ADD), dated the 12th April, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 260(E), dated the 12th April, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the

corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount specified in corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per the unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2905 13 00*	Normal Butanol or "N-Butyl Alcohol"	Malaysia	Any country including Malaysia	BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd.	26.59	MT	US$
2	-do-	-do-	Malaysia	Any country including Malaysia	PETRONAS Chemicals Derivatives Sdn Bhd	51.42	MT	US$
3	-do-	-do-	Malaysia	Any country including Malaysia	Any producer other than mentioned in S. No. 1 and 2 above	149.31	MT	US$
4	-do-	-do-	Any country other than Malaysia, South Africa and United States of America	Malaysia	Any	149.31	MT	US$
5	-do-	-do-	South Africa	Any country including South Africa	Any	13.24	MT	US$
6	-do-	-do-	Any country other than Malaysia, South Africa and United States of America	South Africa	Any	13.24	MT	US$
7	-do-	-do-	United States of America	Any country including United States of America	Any	24.16	MT	US$
8	-do-	-do-	Any country other than Malaysia, South Africa and United States of America	United States of America	Any	24.16	MT	US$

** Customs classification is only indicative and not binding on the scope of the subject goods.*

Note. - The application of the individual duty rates specified for the producers mentioned at S. No. 1 and 2 in the table above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows: *"I, the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in the (name of country). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct."* If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded, or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

***Explanation*. -** For the purposes of this notification, the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190349/39/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA